न्यायालय – पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0प्र0)

RCT No. 3337/2023
Filling No. 13771/2023
CNR No. MP0401016347/2023
Filling Date: 24/04/2023

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र
महिला थाना, भोपाल म0प्र0,

.....................अभियोजन

विरूद्ध

1. मिथलेश शर्मा पिता श्री हरनाथ शर्मा, उम्र–61 वर्ष,
2. हरनाथ शर्मा पिता स्व. श्री जमुना प्रसाद शर्मा, उम्र–76 वर्ष,
3. नीरज शर्मा पिता श्री हरनाथ शर्मा, उम्र–49 वर्ष, तीनों निवासीगण एस.बी.आई बैंक के पास, पिनाहट आगरा, उपदेश पिनाहट आगरा उ0प्र0
4. अंकित शर्मा पिता श्री हरनाथ शर्मा, उम्र–37 वर्ष, निवासी -360 सी, राहहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड भोपाल म.प्र.

.............अभियुक्त

उपार्पण आदेश
(आज दिनांक 28/06/2023 को पारित)

01 इस आदेश द्वारा यह प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय को धारा 209 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अधीन उपार्पित किया जा रहा है।

(पूजा पाठक बौरासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल (म.प्र.)

02 अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया का विवाह दिनांक 09.12.2020 को अंकित शर्मा आत्मज श्री हरनाथ शर्मा मूल निवासी एस.बी.आई बैंक के पास से तहसील पिनहाट जिला आगरा उ0प्र0 के साथ को दोनों परिवारों की आपसी सहमति से सामाजिक रीति–रिवाजों के साथ बडी धूमधाम से ग्वालियर से संपन्न हुआ था। शर्मा परिवार की मांग एवं इच्छा अनुसार फरियादिया के पिता ने विवाह एवं सगाई दोनों पर करीब 95 लाख रूपये से भी अधिक खर्चा किया था जिसमें 10 लाख रूपये नकद रिंग सेरेमनी के समय दिये एवं सोना चांदी एवं एक कार 21 लाख 63 हजार रूपये की जो बीमा रोड टेक्स तथा ऐसेसरीज एवं अन्य सामान सहित 30 लाख रूपये की पडी थी तथा इसके साथ ही साथ घडी कपडे एवं घरेलू उपयोग हेतु सामान एवं खाना खर्चा तथा दोनों होटल के बिल इत्यादि कुल लगभग 25 लाख रूपये का खर्चा हुआ था। फरियादिया के विवाह के पश्चात कुछ समय तक तो उसके पति और ससुराल वालों ने उसे ठीक से रखा, किंतु कुछ समय बाद उसके पति अंकित शर्मा, सास श्रीमती मिथलेश शर्मा, ससुर हरनाथ शर्मा, जेठ निलेश शर्मा ने उसे उसके घर से 01 करोड रूपये और दिये जाने हेतु परेशान करने लगे एवं उसके मना करने पर फरियादिया के पति ने उसके निवास

(पूजा पाठक चौरासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल (म.प्र.)

मकान नंबर 360 सी राजहर्ष कालोनी कोलार भोपाल पर उसकके साथ लात घूसों एवं बेल्ट से मारपीट करने लगे एवं उसके बाल पकड़कर मारते और उसके पिता को भी अश्लील गालियां देने लगे। उसके पति उसके सास–ससुर से मोबाईल फोन पर बात किये जाने के पश्चात ऐसा करते थे। उसके ससुर हरनाथ शर्मा, जेठ नीरज शर्मा, विवाह कराने वाले मध्यस्थ से उसके पिता द्वारा बातचीत की गई तो उस दौरान उसके पति अंकित शर्मा एवं जेठ नीरज शर्मा ने यह कहा कि जो भोपाल में स्थित मकान पर जो कर्जा है वह उसके पिता के द्वारा चुका दिया जावे तभी वे उनकी बेटी को रखेंगे तब उसके पिता ने उसके दाम्पत्य जीवन को बचाने व सुखी बनाये जाने हेतु 05 लाख रूपये की एकमुश्त राशि उसके जेठ श्री नीरज शर्मा को दी थी। उसके ससुराल वालों की पैसों की डिमांड विवाह वाले दिन से शुरू हो गई थी। उसके पति अंकित शर्मा व ससुर हरनाथ शर्मा व जेठ निलेश शर्मा ने उसके माता–पिता को जान से मारने की धमकी दी तो उसने एक बार साहस करके उसके पिता से और अधिक पैसा लाये जाने से इंकार किया तो उसके पति उसके आपे से बाहर हो गया। इस घटना से वह बहुत ज्यादा भयभीत हो गई थी और मानसिक अवसाद का शिकार होकर तनावग्रस्त हो गई इसके पश्चात उसने उसके पति से मायके छोड़ने हेतु कहा तो उसके पति ने उसे लात घूसों और बेल्ट से मारपीट

(पूजा पाठक बौरासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल (म.प्र.)

की गई। उसने उसके ससुरालवालों को समझाने का प्रयास किया किंतु उसके पति अंकित शर्मा व उसके परिवार वालों के बर्ताव में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नही आया।

03 जब वह गर्भवती हो गई तो यह बात बेहद खुश होकर उसने उसके पति अंकित शर्मा को बताई तो पति खुश होने के बजाय उस पर नाराज होकर बोले कि उसे अभी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिये था, तुम इस प्रेग्नेंसी को उसके मायके जाकर गिरवा दो, किंतु जब वह इसके लिये तैयार नहीं हुई तो उसके पति ने स्वास्थ्यवर्धक मेडीसिन के नाम पर धोखे से गर्भपात की दवाई उसे खिला दी जिससे उसे अत्यंत पीडा के साथ ब्लीडिंग हुई और उसका गर्भपात हो गया। उसके पति उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स संबंध बलपूर्वक बनाता था तथा उसके मुँह के अंदर भी पैनीश जबरदस्ती डालता था और जब वह इसके लिए मना करती थी तो धमकी देता था कि, उसने उसका चेहरा छिपाकर उसके साथ आप्राकृतिक मैथुन के वीडियो बना लिए है और वह यदि इसके लिए मना करेगी तो वह वीडियो वायरल कर देगा। उसके साथ आप्राकृतिक मैथुन संबंध बनाये जाने के पूर्व जबरन उसे शराब, सिगरेट व अन्य व्यसन किए जाने हेतु मजबूर करता था और जबरन उसे गॉस खिलाने का भी प्रयास करता था वह एवं उसके माता–पिता सभी मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़नायें इसी आशय से

(पूजा पाठक बौरासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल (म.प्र.)

सहन करते आये है कि, एक दिन उसके पति व ससुरालवालो के व्यवहार मे परिवर्तन आ जाएगा और उसका दाम्पत्य जीवन बच जाए, किन्तु उसके ससुरालवालो के व्यवहार मे कोई परिवर्तन नही आया। उसके संपूर्ण सोने चांदी के जेवरात, उसका स्त्रीधन उसके ससुरालवालो ने ही रख लिए है एवं उसके मॉगने पर भी उसे नही दिया गया है एवं उसे घर से धक्का देकर भगा दिया गया है तब से वह उसके माता पिता के साथ मायके में रह रही है।

04 फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट महिला थाना, भोपाल में की। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना, भोपाल के अप.क. 343/22, धारा 313, 377, 498ए., 323, 406, 34 एवं 506 भाग-2 भा0दं0वि0 एवं धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना उपरांत आवेदन-पत्र, एफ.आई.आर, नक्शामौका, धारा 161 जा.फौ. के कथन व धारा 164 जा.फौ. के कथन, चेक लिस्ट, जप्तीपत्रक, मेडिकल रिपोर्ट, सुपुर्दगी पंचनामा, धारा 65 बी का फॉर्म व साक्षियों के कथन, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया है। विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313, 377, 498ए, 323, 406, 34 एवं 506 भाग-2 भा0दं0वि0 एवं धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पत्र क्र. 66/23 दिनांक 28.03.2023 को तैयार कर

(पूजा पाठक बौरासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल (म.प्र.)

न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

05 आरोपित अपराध में धारा 313 एवं 377 भा0द0वि0 अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः यह प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय भोपाल को उपार्पित किये जाने योग्य है।

06 अभियुक्तगण जमानत पर है। अतः अभियुक्तगण माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल के समक्ष आगामी दिनांक 11/07/2 23 को सुबह 11.00 बजे उपस्थित रहे।

07 प्रकरण का अभिलेख माननीय सत्र न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

08 प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द किये जाने की सूचना लोक अभियोजक को भेजी जावे।

उपार्पण आदेश खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(पूजा पाठक बौरासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल म0प्र0

(पूजा पाठक बौरासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल म0प्र